लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

दिनांक : 26 अगस्त 2015 को सम्पन्न हुई कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक संख्या 8/2015 की कार्यवाही

उपस्थिति

1. डॉ0 एस0बी0 निमसे	अध्यक्ष/कुलपति
2. प्रो0 यू0एन0 द्विवेदी	सदस्य
3. प्रो0 अखिलेश कुमार गर्ग	सदस्य
4. प्रो0 कालीचरण स्नेही	सदस्य
5. प्रो0 यू0डी0 मिश्रा	सदस्य
6. डॉ0 बी0डी0 सिंह	सदस्य
7. डॉ0 यू0एन0 सिन्हा	सदस्य
8. डॉ0 एस0ए0 रिज़वी	सदस्य
9. डॉ0 शशि कनौजिया	सदस्य
10. डॉ0 ओ0पी0 शुक्ला	सदस्य
11. डॉ0 सूर्यकान्त	सदस्य
12. श्री अनिल कुमार सिंह	सदस्य
13. श्री सुरेश चन्द्र तिवारी	सदस्य
14. श्री देवी प्रसाद चौधरी	सदस्य
15. डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा	सचिव/कुलसचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक के आरम्भ में समस्त माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया तदोपरान्त नवागत सदस्य के रूप में प्रो0 पदम कान्त, रसायन विज्ञान विभाग एवं डॉ0 ओ0पी0 शुक्ला, उपाचार्य, रक्षा अध्ययन विभाग का स्वागत किया तथा बैठक में अपना कार्यकाल पूरा करने वाले सदस्य प्रो0 रीता, हिन्दी विभाग, तथा डॉ0 बबिता जयसवाल, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग के योगदान तथा सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गयी।

ठक आरम्भ होते ही मा0 कुलपति महोदय द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में अब तक अपने कार्यकाल में किये गये कार्यों से तथा आगामी व्यवस्था में पूर्ण रूप से सुधार किये जाने के दिशा निर्देश से समस्त माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की संशोधित धारा 31 (03) (सी) के अधीन कार्य परिषद की बैठक दिनांक 10.06.2004 तथा 09.07.2004 में पारित कार्य परिषद के निर्णय के अन्तर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवक्ता वेतनमान पर कार्यरत शिक्षकों के सम्बन्धित विभाग तथा सम्बन्धित श्रेणी के रिक्त पदों के सापेक्ष माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 964 (एस0बी0) ऑफ 2004 तथा 1184 (एस0बी0)/2004 में पारित आदेश के अधीन नियुक्त किये जाने से सम्बन्धित पूर्व में कार्य परिषद द्वारा लिये गये निर्णय का संक्षिप्त सारांश कुलसचिव/सचिव द्वारा समस्त माननीय सदस्यों को पढ़कर सुनाया गया। सदन को अवगत क.राया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.07.2004 के क्रम में कार्य परिषद द्वारा पारित आदेश पर नौ (09) बिन्दुओं के सापेक्ष पुनर्विचार किया जाना था परन्तु कार्य परिषद द्वारा गठित रूपरेखा कमेटी की रिपोर्ट में इस बिन्दु पर विचार नहीं किया गया था, जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं हो पा रहा है और न ही अग्रिम नियमितीकरण व रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजन व पदोन्नति हो पा रही है।

परिषद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ एक समिति गठन करने का निर्णय लिया गया।

1. श्री अनिल कुमार सिंह	सदस्य कार्य परिषद
2. डॉ0 सूर्यकान्त	सदस्य कार्य परिषद
3. श्री सुरेश चन्द्र तिवारी	सदस्य कार्य परिषद
4. श्री देवी प्रसाद चौधरी (एडवोकेट)	सदस्य कार्य परिषद
5. एक वरिष्ठ आचार्य	(माननीय अध्यक्ष कार्य परिषद द्वारा नामित)
6. एक विधिक सलाहकार	माननीय अध्यक्ष कार्य परिषद द्वारा नामित)
7. कुलसचिव	सचिव

सदन को यह भी अवगत कराया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में योजित वाद संख्या 1740 (एस0बी0) ऑफ 2011 में पारित लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवक्ता वेतनमान पर कार्यरत शिक्षक डॉ0 राजेन्द्र बहादुर सिंह के सम्बन्ध में

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.10.2011 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया:–

"once a person has been appointed as lecturer, his salary, usual increments and also the senior pay scale cannot be denied unless there is any order against him. A lecturer is since entitled to and is to be given all benefits attached to the post.

Of course the initial appointment of regularization in service, if is found illegal or contrary to law that can be set aside."

चूँकि कुछ विषयों की कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत प्रोन्नत की तिथि निर्धारित है और डॉ0 (श्रीमती) सुनीता श्रीवास्तव ने कैरियर एडवांसमेन्ट योजना में प्रोन्नति की चयन समिति में सम्मिलित होने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

सदन को यह भी अवगत कराया गया कि डॉ0 राजेन्द्र बहादुर सिंह , प्रवक्ता, भौतिक विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की भांति डॉ0 सुनीता श्रीवास्तव, प्रवक्ता, व्यावहारिक अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ भी ऐसी शिक्षिका हैं जिनका प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के याचिका संख्या 964 (एस0बी0) ऑफ 2004 तथा 1184 (एस0बी0)/2004 में वॉछित है। लखनऊ विश्वविद्यालय के व्यावहारिक अर्थशास्त्र विभाग में प्रवक्ता का पद रिक्त हैं। अतः उपरोक्त गठित समिति उक्त के सम्बन्ध में शीर्घ ही निर्णय लेगी।

अतः डॉ0 सुनीता श्रीवास्तव द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर समस्त माननीय सदस्यों द्वारा विचार किया गया तथा डॉ0 श्रीवास्तव को कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत विचार किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी। परन्तु समिति का निर्णय कार्य परिषद तथा माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त मा0 सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त करने की घोषणा की गयी।

26/08/15

(अखिलेश कुमार मिश्रा)
कुलसचिव / सचिव

(डॉ0 एस0बी0 निमसे)
कुलपति / अध्यक्ष